

II/ पुनश्च/ रीवा/ 2018/ 0/ 245

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालिपर म०प्र० ।



1- श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री गंगा प्रसाद दुबे निवासी ग्राम पड़रा तह०

हुजूर जिला रीवा म०प्र०

अधि० श्री वीरेन्द्र सिंह
द्वारा पेशा / 20-2-18

----- आवेदिका ।

बनाम

----- अनावेदक ।

hul/ शासन म०प्र०

कलक आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालिपर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी पुनर्विलोकन प्र०क्र०

अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०भू०रा०संहिता ।

आवेदन पत्र पुनर्स्थापित किए जाने प्रकरण उती
पु.स. 3594 II / 2017
नम्बरान पर अदम परवा दिनांक 02-02-18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35१ अ० म०प्र०भू०
रा०संहिता ।

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/पुनर्स्थापन/रीवा/भू.रा./2018/1245

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/2/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा मूल प्रकरण क्र. तीन/पुर्नावलोकन/रीवा/भू.रा./2017/3594 पुनर्स्थापित करते हुए उक्त प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य 6/2/19.</p>	

सदस्य

27
16 30